हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना

दिनांक 12 सितम्बर, 2016

संख्या 19/एस.टी.—1/ह0अ0 6/2003/धा0 59क/2016.— चूं कि, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या अन्य बकायों की वसूली के लिए समीचीन है, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 59क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे यथा विनिर्दिष्ट शर्तो तथा निबन्धनों के अध्यधीन, स्कीम में यथा उपवंधित ऐसे संविदाकारों से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए तथा ऐसे कारबार के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य कर, ब्याज, शास्ति या अन्य बकायों की वसूली हेतु माफी योजना, अर्थात् संविदाकारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन स्कीम, 2016, अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण ।

- . (1) यह स्कीम **"संविदाकारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन स्कीम, 2016"**, कही जा सकती हैं ।
 - (2) यह उन संविदाकारों को लागू होगी जो हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन पंजीकृत है या पंजीकृत किए जाने अपेक्षित हैं।
- परिभाषाएं ।
- 2. (1) इस स्कीम के प्रयोजन के लिए,-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), ;
 - (ख) "कुल राशि" से अभिप्राय है, कारबार के सम्बन्ध में, सम्बद्ध वित्तीय वर्ष की लेखा—परिक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार मान्य राजस्व या मूल्यवान प्रतिफल, जो भी अधिक हो;
 - (ग) "कारबार" से अभिप्राय है, करार के अनुसरण में विक्रेता को भूमि या भूमि में हित के साथ—साथ उनके विक्रय तथा अंतरण के लिए व्यावसायिक या अन्यथा चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से (या तो संविदाकार स्वयं के द्वारा या किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से) सिविल ढांचों, फ्लैटों, रिहायशी इकाईयों, भवनों, परिसरों, कम्पलेक्सों का निर्माण कार्य जहां, भूमि का मूल्य या भूमि के हित मे प्राप्त किया गया या प्राप्य कुल प्रतिफल शामिल है;
 - (घ) "संविदाकार" से अभिप्राय है, पंजीकृत या अंपजीकृत व्यवहारी जो या तो स्वयं या किसी उप संविदाकार के माध्यम से कारबार में लगा है या करता है;
 - (ड़) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इस स्कीम से संलग्न प्ररूप ।
- 2. इस स्कीम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः इस अधिनियम में दिए गए हैं।

स्कीम का कार्य क्षेत्र।

- 3. (1) यह स्कीम ऐसे सभी संविदाकारों को लागू होगी चाहे उन्होंने हरियाणा मूल्य वर्धित कर, 2003 के नियम 49 के अधीन एकमुश्त राशि स्कीम को चुना है या नहीं चुना हैं।
 - (2) यह स्कीम इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना लागू होगी, कि स्कीम के लिए आवेदन करते समय, निर्धारण लिम्बत है या अन्तिम रूप प्राप्त कर लिया है या अधिनियम या किसी विधि न्यायालय के अधीन किसी प्रधिकरण के समक्ष निर्धारण आदेश लिम्बत है।
 - (3) किसी विशेष वर्ष के लिए एक बार चुनी गई स्कीम 31 मार्च, 2014 तक के लिए चुनी गई समझी जाएगी और संविदाकार स्कीम की अवधि के अंत तक प्रत्येक वर्ष के लिए इस स्कीम के अनुसार राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा ।
 - (4) यह स्कीम किसी अन्य व्यवहारी जो अधिनियम के अधीन अन्यथा कर के भुगतान के लिए दायी हैं किन्तु इस स्कीम के अधीन नही आता है, के दायित्व को समाप्त नही करेगी।

दायित्व की संगणना ।

4. (1) इस स्कीम को चुनने वाला कोई संविदाकार वर्ष—वार उसके कारबार से उत्पन्न कर, ब्याज या शास्ति के बदले में एक बारगी निपटान के रूप में, वर्ष के दौरान किए गए कारबार के लिए प्राप्त किए गए /प्राप्य सम्पूर्ण कुल राशि, किसी प्रकार की कटौती किए बिना, पर एक प्रतिशत की दर से एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा । आगे इस प्रकार देय राशि पर 5 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा :

परन्तु जहां संविदाकार ने किसी विशेष वर्ष में क्रेताओं से कर प्रभारित तथा संगृहीत किया है तथा यह स्कीम के अधीन भुगतान योग्य राशि से अधिक है, तो वर्ष के दौरान वास्तविक प्रभारित तथा संगृहीत कर की राशि इस स्कीम के अधीन उस विशेष वर्ष के लिए भुगतानयोग्य राशि होगी।

(2) माल की खरीद पर कोई भी निवेश कर क्रेडिट इस स्कीम के अधीन संविदाकार को अनुज्ञेय नहीं होगा। अधिनियम के अधीन उपसंविदाकार के दायित्व का विचार लाए बिना इस स्कीम के अधीन दायित्व रहेगा। तथापि, यदि स्कीम के अधीन आने वाले वर्ष में उस द्वारा पहले से भुगतान किया गया कर, ब्याज अथवा शास्ति उपरोक्त खण्ड 4 के उप—खण्ड (1) के अनुसार देय राशि एकमुश्त राशि से अधिक है तो उसकी अधिक राशि परयाव्ती वर्षों में समायोजित की जाएगी। स्कीम की समाप्ति पर समायोजन के पश्चात् रह गई कोई अधिक राशि न तो वापिस होगी और न ही किसी अन्य कर दायित्व के विरुद्ध समायोजित किए जाने के लिए अनुज्ञात होगी।

आवेदन प्ररूप 5. स्कीम को चुनने वाला संविदाकार, अपने वर्ष—वार कर दायित्व तथा निर्धारण मामलों की नवीनतम स्थिति घोषित करते हुए, उसमें अपेक्षित ब्यौरे देते हुए, इस अधिसूचना की तिथि से नब्बे दिन के भीतर निर्धारण प्राधिकारी को इस स्कीम से संलग्न प्ररुप टी सी—1 में ऑनलाइन आवेदन करेगा।

दायित्व का भुगतान।

- (1) संविदाकार इस स्कीम के अधीन प्ररुप टी सी—1 में अपने वर्ष—वार दायित्व संगणित तथा घोषित करेगा तथा स्कीम के अधीन देय तथा भुगतानयोग्य कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत का भुगतान करेगा । संविदाकार प्ररुप (टी सी—1) के साथ उसके भुगतान का सबूत प्रस्तुत करेगा।
- (2) स्कीम के अधीन देय तथा भुगतानयोग्य कुल राशि का बकाया पचहत्तर प्रतिशत बिना किसी ब्याज के आगामी त्रैमासिक की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर प्रत्येक तीन समान त्रैमासिक किस्तों में संविदाकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। समय पर किन्ही किस्तों का भुगतान करने में असफलता, विलम्ब की अवधि के लिए प्रति मास दो प्रतिशत की दर से ब्याज को आकर्षित करेगी, किन्तु विलम्ब की यह अवधि, केवल तीन मास के लिए निर्बन्धित होगी तथा संविदाकार इस तीन मास की अवधि में ब्याज सिहत अपने दायित्व का पूर्णरुप से भुगतान करेगा। भुगतान करने में चूक की दशा में, स्कीम के अधीन विकल्प तथा पहले से प्राप्त लाभ वापस किए जाने के लिए दायी होगा तथा पहले से भुगतान की गई राशि जब्त हो जाएगी। तथापि, इस प्रभाव का कोई भी आदेश संविदाकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।
- (3) स्कीम के अधीन देय राशि का संविदाकारों द्वारा पूर्ण रुप में भुगतान किए जाने पर वित्तीय वर्ष के लिए कारबार पर प्रदि्भूत होने वाले अधिनियम के अधीन ब्याज तथा शास्ति सहित कर के सभी दायित्व से उन्मुक्त हो जाएंगे।

प्ररूप 7. टी0सी0 1 की जांच।

- (1) ज़िले में पदस्थ दो वरिष्ठतम् आबकारी तथा कराधान अधिकारी (सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी के सिवाए) तथा सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी से मिलकर बनने वाली समिति, ऐसे प्ररूप की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर प्ररूप टी० सी० 1 की जाँच करेगी तथा सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) को रिपोर्ट करेगी।
- (2) उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर), जहां उसे ये विश्वास करने का कारण हो कि संविदाकार द्वारा प्ररूप टी० सी० 1 में उपलब्ध करवाई गई सूचना तात्विक विशिष्टियों में अधूरी अथवा गलत है तो वह, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, संविदाकार को उसे निर्देश देते हुए कारण बताओ नोटिस तामील करेगा कि क्यो न उसका आवेदन रदद् कर दिया जाना चाहिए या क्यो न उससे इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार भुगतान न की गई या कम भुगतान की गई भुगतानयोग्य राशि अदा करने की अपेक्षा की जानी चाहिए।
- (3) उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) आवेदन पर समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के एक मास के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा । यदि प्ररूप रदद् कर दिया जाता है तो प्ररूप सहित संविदाकार द्वारा भुगतान की गई राशि अधिनियम के अधीन उसके दायित्वों के विरूद्ध समायोजित या वापिस की जाएगी, जैसी भी स्थिति हो ।
- (4) उप—खण्ड (1) तथा (3) मे वर्णित समय अवधि आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा अपवादिक मामलों में बढायी जा सकती है।
- (5) उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर), उस प्ररूप को स्वीकार करेगा, जो नियमानुसार

उपयुक्त पाया गया है या जिसमे नोटिस के बाद त्रुटि दूर कर दी हैं, इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी। तथापि स्कीम के खण्ड—(8) के अनुसार सभी मामलों को वापिस लेने के अध्यधीन स्वीकृति मानी जाएगी।

संविदाकार द्वारा 8 लम्बित मामालों को वापिस लेना ।

- (1) उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा प्ररूप की स्वीकृति की दशा में, संविदाकार, स्वीकृति की तिथि के पन्द्रह दिन के भीतर किसी भी प्राधिकरण या विधि न्यायालय के समक्ष लिम्बत सभी अपीलें, याचिकाएं तथा या मामले वापस लेने के लिए आवेदन करेगा। उसी प्रकार अधिनियम के अधीन प्राधिकरण संविदाकार के विरूद्ध सभी कार्यवाहियां स्थिगत रखेगा तथा संविदाकार द्वारा इस स्कीम के अधीन सम्पूर्ण कर दायित्व के अन्तिम भुगतान पर ऐसे लिम्बत मामलें निष्फल हो जाएंगे।
- (2) संविदाकार द्वारा उसके प्ररूप की स्वीकृति के पश्चात् उपरोक्त मामलों को वापिस लेने में असफल होने की दशा में, उसका प्ररूप अस्वीकृत समझा जाएगा तथा स्थगित कार्यवाही विधि के अनुसार सम्पूर्ण की जाएंगी। इस स्कीम के अधीन उस द्वारा जमा की गई राशि जब्त हो जाएगीः

परन्तु स्कीम के अधीन कार्यवाहियों के कारण गंवाई गई समय अवधि को अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा अवधि की गणना करते समय निकाल दिया जाएगा।

सन्देहों को दूर 9. करना

- (1) इस स्कीम में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस स्कीम के अधीन दिए गए लाभ, छूट या उन्मुक्ति से भिन्न संविदाकार को कोई लाभ, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करना है।
- (2) स्कीम में कोई अस्पष्टता या विवाद होने की दशा में, आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा का उस पर निर्णय अंतिम होगा।

	प्ररुप टी सी—1										
संवि	संविदाकारो के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन स्कीम, 2016 को चुनने के लिए आवेदन प्ररुप।										
	(देखिए खण्ड़ 5)										
क्रम संख्या											
1	व्यवहारी का नाम										
	स्थायी लेखा संख्या										
	मोवाईल										
	ई0मेल आई डी										
	एस0सी0ओ0 / बुथ / दुकान / भवन / फ्लैट / प्लाट नं0										
	सैक्टर / क्षेत्र										

	शहर / नगर	र / गाव								
	ड़ाकखाना									
	जिला									
	पिन कोड़									
	राज्य									
2	टिन (यदि	पंजीकृत है)								
	टिन के दार्ग	यित्व की तिथि								
	टिन की वैध	धता की तिथि								
3	दायित्व की	तूल्य वर्धित कर अधिनियम, तिथि (आवेदक द्वारा अपनी या जाना) यदि व्यवहारी इस 1 नहीं है।	ो लेखा पुस्तिकों के	आधार पर स्वयं						
4	वित्तीय वर्ष	जिससे स्कीम चुनी गई है।	I							
5	वित्त वर्ष	लेखा पुस्तकों के अनुसार सकल प्राप्तियां *	स्कीम के खण्ड 4(i) के अनुसार कुल राशि	दर्शाई गई राशि पर एक	खाना 3 में दशाई गई राशि पर खरीददारों से प्रभारित / संगृहीत कर की राशि (कृपया स्कीम के खण्ड 4(i) के उपबन्ध देंखें)	अनुसार दायित्व एकमुश्त या खाना 5 के	कर, ब्यार बिना, १ कर	ज और शार्व पहले से भु	षित कारबार स्त स्वेच्छा से गतान की गई ज सबूत लगार शास्ति	अथवा के (कृपया
	1	2	3	4	5	6	7क	7ख	7ग	7घ
	जोड									
		में दर्शाई गई कुल राशि का मेलान विवरणी, लेखा—परीक्षि		_	_			त्त वर्ष के	लिए मिलान	किया
6	इस स्कीम	के अधीन कुल दायित्व (क्रम	। संख्या 5 के खाना	6 का जोड़)						
7	ऊपर पांच	प्रतिशत की दर पर सरचार्ज	[:] जोड़े							
8	कुल भुगता	नयोग राशि								
9	पहले से ही	ं भुगतान कर घटाए (क्रम [ः]	संख्या 5 के खाना	7घ के अनुसार व	চূল)					

10	इस स्कीम के अध	ग्रीन शुद्ध दे	य राशि (8-	-9)									
11	शुद्ध देययोग्य क	oर का पच्च <u>ि</u>	सि प्रतिशत										
12	पच्चीस प्रतिशत भु (कृपया भुगतान व			ण			क्रम संख्या		राशि (रुपयें में)	जी.आर.एन. / टी.आर. नं0		दिनांक	
						-							
						-							
13	मध्या सर्व मे ज		च्या विकास	T 2042 44 77 7		<u> </u>		हुल					
13	प्रथम वर्ष से जबसे स्कीम का विकल्प 2013—14 तक चुना है सभी चुने गये मामलो का वर्ष—वार ब्यौरा दें												
	वित्त वर्ष मामले के प्रकार अर्थात् निर्धारण / पुनः निर्धारण / पुनःनिरीक्षण जो भी सबसे बाद में पूर्ण किया गया हो दर्शाएं। (जिन मामलो में निर्धारण पूर्ण न किया गया हो वहां ''लम्बित'' दर्शाए)						र्गारण पूर्ण दर्शाए)	न किया ग	-		अपील / विधि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा यदि ऐसा है तो, किसके पास विचाराधीन है। (न्यायालय / प्राधिकारी)		
	(1)		(2	2)		(3)					(4)		
		केस का प्रकार	आदेश की तिथि	प्राधिकारी का पदनाम	कर	ब्या	ज	शास्ति	कुर	न			
14	घोषणाः												
	मे			(<u>प</u> ू	्रा नाम दें)	पुत्र / पुर्व	भी				(पिता व	on नाम पूरा दें), का	
							इसके द्वारा मैसर्ज (व्यापार की						
	_								=			क्षमता में इसके द्वारा	
		_		र ज्ञान तथा विश्वास न, 2016'' के निबन्धन	_				_	ा नही	गया है।	"संविदाकारो के लिए	
											हस्ताक्ष	नर <u> </u>	
स्थानः दिनांक											आवेदक क री की मोह	ज नाम) इर भी लगना	

अनुराग रस्तोगी प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 12th September, 2016

No 19/ST-1/ H.A. 6/2003/S.59A/2016. Whereas, it is expedient for the recovery of tax, interest, penalty or other dues under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), therefore, in exercise of the powers conferred by section 59A of the said Act, the Governor of Haryana hereby provides for an Amnesty Scheme namely, the Haryana Alternative Tax Compliance Scheme for Contractors, 2016, for the recovery of tax, interest, penalty or other dues payable under the said Act, for the period upto the 31st March, 2014, from such contractors and for such business as provided in the Scheme, subject to the conditions and restrictions as specified hereunder:-

Short title and application.

- 1. (1) This Scheme may be called the Haryana Alternative Tax Compliance Scheme for Contractors, 2016.
 - (2) It shall be applicable to the contractors who are registered or are required to be registered under the Act or the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956).

Definitions.

- 2. (1) For the purposes of this Scheme:-
 - (a) "Act" means the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003);
 - **(b)** "aggregate amount" means revenue recognized as per audited financial statements of the relevant financial year or valuable consideration, whichever is higher, in relation to business;
 - (c) "business" means an act of construction of civil structures, flats, dwelling units, buildings, premises, complexes, commercial or otherwise, whether wholly or partly (either by the contractor himself or through an authorized person) for sale, and transfers them in pursuance of an agreement alongwith land or interest underlying the land to a buyer, where the value of land or interest underlying the land is included in the total consideration received or receivable;
 - (d) "contractor" means a dealer, registered or unregistered, who either himself or through a sub-contractor, is engaged in and undertakes the business;
 - (e) "Form" means a Form appended to this Scheme.
 - (2) Words and expressions used but not defined under this Scheme and defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.

Scope of Scheme.

- **3.** (1) This Scheme shall apply to all contractors, whether they have or have not opted for lump sum scheme under rule 49 of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003.
 - (2) This Scheme shall apply irrespective of the fact that assessments are pending or have attained finality or assessment orders are pending before any authority under the Act or any court of law at the time of applying for the Scheme.
 - (3) This Scheme once opted for a particular year shall be deemed to have been opted for upto the 31st March, 2014, and the contractor shall be liable to pay the amount as per this Scheme for each year up to the end of the period of the Scheme.
 - **(4)** This Scheme shall not abate the liability of any other dealer who is otherwise liable to pay the tax under the Act, but is not covered under this Scheme.

Computati on of liability.

4. (1) A contractor opting under this Scheme shall pay year wise, in lieu of tax, interest or penalty arising from his business, by way of one time settlement, a lump sum amount **at the rate of one percent of the entire aggregate amount,** received/receivable for the business carried out during the year, without deduction of any kind. Further, a surcharge at the rate of five percent shall be charged on the amount so payable:

Provided that where the contractor has charged and collected tax from the buyers in any particular year and it exceeds the amount payable under this Scheme, then the amount of actual tax charged and collected during the year shall be the amount payable for that particular year under this Scheme.

(2) No input tax credit on purchase of goods shall be admissible to the contractor under this Scheme. The liability under this Scheme shall also be irrespective of the liability of the sub-contractor under the Act. However, if the tax, interest or penalty already paid by him during the year covered under this Scheme exceeds the lump sum amount payable as per sub-clause (1) of clause 4 above, the excess amount shall be adjusted in subsequent year. Any excess amount left after such adjustments shall neither be refunded nor allowed to be adjusted against any other tax liability on the expiry of this Scheme.

Form of Application

5.

The contractor opting for this Scheme **shall apply online in Form TC-1** appended to the Scheme, to the concerned assessing authority within ninety days from the date of this notification, furnishing the details required therein, declaring his year-wise liability and the latest status of the assessment cases.

Payment of liability.

- **6. (1)** The contractor shall calculate and declare his year-wise liability due under this Scheme in Form TC-1 and shall pay twenty-five percent of the total amount due and payable under the Scheme. The Contractor shall furnish proof of payment thereof along with Form TC-1.
 - (2) The balance seventy-five percent of the total amount due and payable under this Scheme shall be paid by the contractor in three equal quarterly installments, each payable within fifteen days of the end of the next quarter without any interest. Failure to pay any of the installments in time shall attract interest at the rate of two percent per month for the period of delay, but this period of delay shall stand restricted to three months only and the contractor shall fully discharge his liability alongwith interest within this period of three months. In the event of default in making the payment, the option and the benefit already availed under this Scheme shall be liable to be withdrawn and the amount already paid shall stand forfeited. However, no order to this effect shall be passed by the assessing authority without affording a reasonable opportunity of being heard to the contractor.
 - (3) All liabilities of tax including interest and penalty under the Act accruing on the business for the financial year shall stand discharged once the amount payable under this Scheme is paid in full by the contractor.

Examinationof Form TC-

1.

- (1) A committee consisting of two senior most Excise and Taxation Officers (other than the concerned assessing authority) and the concerned Assessing Authority posted in the district shall examine Form TC-1 within twenty-one days of the receipt of such Form and make report to the concerned Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST).
 - (2) The Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST), where he has reasons to believe that the information provided by the contractor in Form TC-1 is incomplete or incorrect in material particulars, he may, for reasons to be recorded in writing, serve a notice upon the contractor directing him to show cause as to why his application should not be rejected or as to why he should not be required to pay the amount payable that remains unpaid or short paid as per provisions of this Scheme.
 - (3) The Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST) shall pass an appropriate order, within a period of one month of the receipt of report from the committee. In case the Form is rejected, the amount

- paid by the contractor along with the Form shall be adjusted against his liabilities under the Act or refunded, as the case may be.
- (4) The Excise and Taxation Commissioner may extend time period mentioned in sub-clauses (1) and (3) above in exceptional cases.
- (5) The Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST) shall accept the Form which has been found in order or where the deficiency has been removed after notice, the same shall be conveyed to the applicant. However, the acceptance shall be subject to withdrawal of all cases as per clause 8 of this Scheme.

Withdrawal of pending cases by the contractor.

- (1) In the event of acceptance of the Form by the Deputy Excise and Taxation Commissioner, the contractor shall, within fifteen days of the date of acceptance, make an application to withdraw all appeals, writ petitions and/or cases pending before any Authority or Court of Law. Similarly, any Authority under the Act shall keep all proceedings against the contractor in abeyance and such pending cases on final payment of the entire liability shall become infructuous.
- (2) In the event of failure of the contractor to withdraw the cases as above subsequent to the acceptance of his Form, his Form shall be deemed to have been rejected and the proceeding held in abeyance shall be finalized in accordance with law. The amount deposited by him under this Scheme shall stand forfeited:

Provided that the time period lost on account of proceedings under this Scheme shall be excluded in computing the period of limitation specified under the Act, to finalize the proceedings kept in abeyance under this Scheme.

Removal of doubts.

- **9.** (1) Nothing contained in this Scheme shall be construed as conferring any benefit, concession or immunity on the contractor other than the benefit, concession or immunity granted under this Scheme
 - (2) In case of any ambiguity or dispute arising out of this Scheme, the decision of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana thereon shall be final.

Form TC-1 APPLICATION FORM FOR OPTING THE HARYANA ALTERNATIVE TAX COMPLIANCE SCHEME FOR **CONTRACTORS, 2016** (see clause 5) Name of the Dealer PAN Mobile E-mail id SCO/Booth/Shop/Building/Flat/Floor No. Sector/Area City/Town/Village Post Office District Pin Code State 2. TIN (if registered) Date of Liability of TIN Date of Validity of TIN 3. Date of Liability to pay tax under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (To be declared by the applicant on his own on the basis of his account books, if the dealer is not registered on the date of submission of this application) 4. The Financial Year from which the Scheme is opted Financial Tax, Interest and penalty already paid 5. Liability **@** Amount Liability as Gross Aggregate voluntarily or otherwise in respect of Year 1% receipts amount as of on tax per per clause amount charged/ Column 4 business defined in the scheme (Please per 4 (1) of the shown collected or Tax attach proof of payment) account in Column 3 Interest Penalty Total books Scheme. from charged as Tax

		*			buyers (Please refer to proviso to clause 4 (1) of the Scheme)	per Column 5, whichever is higher shall be reflected in this Column				(A+B+C)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(0)	(/A)	(7D)	(70)	(7D)
	Total									
	column 2 for shall be subm	each finan nitted.	ncial year. The	olumn 3 shall be						
6.	Total Liabilit of Serial Num		Scheme (Tota	al of Column 6						
7.	Add Surcharg		above							
8.	Total Amount									
9.			s per total of	Column 7D of						
	Serial Number									
10.			er the Scheme	(8-9)						
11. 12.	25% of the ne Details of pay				Serial	Amount	GRN/TR	No	Date	
12.	(Please attach				Number	(in Rs.)	OKIVIK	110.	Date	
	(F F	.,,,			(======,				
					Total					
13.	Give ye	ar wise det	ail of all asses	ssment cases fro	om the first y	year from whi	ich the Sch	neme is opt	ed upto 20	13-14
	Financial Year (F.Y.)	/Reassess finalized mentione	ment / Revisi on a later d. assessment h	(tax liability as per returns be mentioned where assessment is pending). i.e. whether per in Reassess Revision / A /Court of Law so, with pending (Court/Authoric						
		finalized, 'Pending'							(Court/Au	-
	(1)	finalized, 'Pending'	(2)			(3)		-	(Court/Au	uthority) (4)
	(1)	finalized, 'Pending' Type of	(2) Date of	Designation of Authority	Tax	(3) Interest	Penalty	Total	(Court/Au	-
	(1)	finalized, 'Pending'	(2)	Designation of Authority	Tax		Penalty	Total	(Court/Au	-
	(1)	finalized, 'Pending' Type of	(2) Date of		Tax		Penalty	Total	(Court/Au	-
	(1)	finalized, 'Pending' Type of	(2) Date of		Tax		Penalty	Total	(Court/Au	-
	(1)	finalized, 'Pending' Type of	(2) Date of		Tax		Penalty	Total	(Court/Au	-
and to	Declaration: I	finalized, 'Pending' Type of Case at of s been conc	(2) Date of order (proprietor/pa (give for complete	give fu give fu give fu give fu artner/managing full name of the dddress of the	all name) son complete re directo the busing the dealer) that	Interest a/daughter of sidential addror/duly arress entity/deat the contents ax Compliance	ress), here uthorized aler), have contained ce Scheme	by declare signate ring its hereinabou for Contr	(Court/Au (ge in the cory) cobusiness we are true	ive name of capacity of of M/s address at and correct
the f	Declaration: I	finalized, 'Pending' Type of Case at of s been conc	(2) Date of order (proprietor/pa (give for complete	give fu give fu give fu give fu artner/managing full name of the dddress of the	all name) son complete re directo the busing de dealer) tha	Interest a/daughter of sidential addror/duly arress entity/deat the contents ax Compliance	ress), here uthorized ealer), have contained ce Scheme re	by declare signatoring its hereinabov for Contract	(Court/Au	ive name of capacity of of M/s address at and correct